

राजद्रोह कानून

प्रलिस के लयः

राजद्रोह कानून, धारा 124A, भारतीय दंड संहता ।

मेन्स के लयः

राजद्रोह कानून और संबधतः मुद्दों का महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

सरकार ने [राजद्रोह](#) के अपराध से नपटने वाली भारतीय दंड संहता की धारा 124A की संवैधानकः वैधता को चुनौती देने वाली याचकाओं पर अपना लखतः जवाब देने के लयः और समय मांगा है ।

- वर्ष 2021 में [भारत के मुख्य न्यायाधीश \(CJI\)](#) ने सवाल कयः था कः [महात्मा गांधी](#) और [बाल गंगाधर तलक](#) के खलःफ इस्तेमाल कयः गया एक औपनवःशकः कानून आज़ादी के 75 साल बाद भी कानून की कतःाब में क्यों बना रहा ।
- मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कः [सरकार द्वारा देशद्रोह या भारतीय दंड संहता की धारा 124A का दुरुपयोग](#) कयः जा सकता है ।

राजद्रोह कानून:

- ऐतःहासकः पृष्ठभूमः**
 - राजद्रोह कानून को 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में अधनःयःमतः कयः गया था, उस समय वधः नःरःमाताओं का मानना था कः सरकार के प्रतः अचछी राय रखने वाले वचःारों को ही केवल असत्तःव में या सार्वजनकः रूप से उपलब्ध होना चाहयः, क्योंकि गलत राय सरकार और राजशाही दोनों के लयः नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती थी ।
 - इस कानून का मसौदा मूल रूप से वर्ष 1837 में बःटःशः इतःहासकार और राजनीतःजःज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार कयः गया था, लेकनः वर्ष 1860 में [भारतीय दंड संहता](#) (IPC) लागू करने के दौरान इस कानून को IPC में शामिल नहीं कयः गया ।
 - वर्तमान में [राजद्रोह कानून की स्थतः](#): भारतीय दंड संहता (IPC) की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक अपराध है ।
- IPC की धारा 124A :**
 - यह कानून राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परभःषतः करता है जसःमें 'कसःी वयकःतः द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापतः सरकार के प्रतः भौखकः, लखतः (शब्दों द्वारा), संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न कयः जाता है ।
 - वदःरोह में वैमनस्य और शत्रुता की सभी भावनाएँ शामिल होती हैं । हालाँकः इस खंड के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशशः कयः बना की गई टपःपणयःओं को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं कयः जाता है ।
- राजद्रोह के अपराध हेतु दंड:**
 - राजद्रोह गैर-जमानती अपराध है । राजद्रोह के अपराध में तीन वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है और इसके साथ जुरमाना भी लगाया जा सकता है ।
 - इस कानून के तहत आरोपतः वयकःतः को सरकारी नोकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है ।
 - आरोपतः वयकःतः को पासपोर्ट के बना रहना होता है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना ज़रूरी है ।

राजद्रोह कानून का महत्त्व:

- उचतः प्रतःबंध**
 - भारत का संवधःन [उचतः प्रतःबंध \(अनुच्छेद 19\(2\) के तहत\)](#) नःरःधारतः करता है जो अभवःयकःतः की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रतः ज़मःमेदार अभयःस को सुनशःचतः करता है, साथ ही यह भी सुनशःचतः करता है कयःह [सभी नागरकःओं के लयः समान रूप से उपलब्ध](#) है ।
- एकता और अखंडता बनाए रखना:**
 - राजद्रोह कानून सरकार को [राष्ट्र-वःशःधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों का मुकाबला करने में मदद](#) करता है ।

- **राज्य की स्थिरता को बनाए रखना:**
 - यह चुनी हुई सरकार को हिसा और अवैध तरीकों से सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाने में मदद करता है। कानून द्वारा स्थापित सरकार का नरिंतर अस्तित्व राज्य की स्थिरता के लिये एक अनविर्य शर्त है।
- **राजद्रोह कानून से संबंधित मुद्दे:**
 - **औपनविशकि युग का अवशेष:**
 - औपनविशकि प्रशासकों ने बरटिशि नीतियों की आलोचना करने वाले लोगों को रोकने के लिये राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया।
 - **लोकमान्य तलिक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सहि** आदि स्वतंत्रता आंदोलन के दगिगजों को बरटिशि शासन के तहत उनके "राजद्रोही" भाषणों, लेखन और गतविधियों के लिये दोषी ठहराया गया था।
 - इस प्रकार राजद्रोह कानून का इतना व्यापक उपयोग औपनविशकि युग की याद दलिता है।
 - **संवधान सभा का रूख:**
 - संवधान सभा **संवधान में राजद्रोह को शामिल करने के लिये सहमत नहीं** थी। सदस्यों का तर्क था कयिह भाषण और अभवियकर्ता की स्वतंत्रता को बाधति करेगा।
 - उन्होंने तर्क दिया किलोगों के वरिोध के वैध और संवधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार को दबाने के लिये राजद्रोह कानून को एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
 - **सर्वोच्च न्यायालय के नरिणयों की अवहेलना:**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1962 में **केदार नाथ सहि बनाम बहिर राज्य मामले** में धारा 124A की संवैधानिकता पर अपना नरिणय दिया। इसने देशद्रोह की संवैधानिकता को बरकरार रखा लेकिन इसे अव्यवस्था पैदा करने का इरादा, कानून एवं व्यवस्था की गड़बड़ी तथा हिसा के लिये उकसाने की गतविधियों तक सीमति कर दिया।
 - इस प्रकार शकिषावर्दों, वकीलों, सामाजकि-राजनीतिक कार्यकर्ताओं और छात्रों के खलिाफ देशद्रोह का आरोप लगाना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है।
 - **लोकतांत्रिकि मूल्यों का दमन:**
 - भारत को तेज़ी से उभरते एक नरिवाचति नरिर्कुश राज्य के रूप में वर्णति किया जा रहा है, मुख्य रूप से राजद्रोह कानून के कठोर और गणनात्मक उपयोग के कारण।
- **हालिया वकिस:**
 - **फरवरी 2021** में **सर्वोच्च न्यायालय** ने एक राजनीतिक नेता और छह वरषिठ पत्रकारों को उनके खलिाफ दर्ज राजद्रोह के कई मामलों में गरिफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है।
 - **जून 2021** में सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दो तेलुगू (भाषा) समाचार चैनलों को ज़बरदस्ती कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करते हुए राजद्रोह की सीमा को परभाषति करने पर ज़ोर दिया।
 - **जुलाई 2021** में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचकिा दायर की गई थी, जसिमें देशद्रोह कानून पर फरि से वचिार करने की मांग की गई थी।
 - न्यायालय ने कहा, "सरकार के प्रतिसंतोष" की असंवैधानिक रूप से असपष्ट परभाषाओं के आधार पर स्वतंत्र अभवियकर्ता कि अपराधीकरण करने वाला कोई भी कानून **अनुच्छेद 19 (1) (अ)** के तहत गारंटीकृत अभवियकर्ता की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर अनुचित प्रतर्बिध है और संवैधानिक रूप से अनुमेय भाषण पर 'दरुतशीतन प्रभाव' (Chilling Effect) का कारण बनता है।

आगे की राह

- IPC की धारा 124A की उपयोगिता राष्ट्रवरिधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों से नपिटने में है। हालाँकि सरकार के नरिणयों से असहमति और आलोचना एक जीवंत लोकतंत्र में मज़बूत सार्वजनिक बहस के आवश्यक तत्त्व हैं। इन्हें देशद्रोह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये।
- उच्च न्यायापालकिा को अपनी पर्यवेक्षी शक्तियों का उपयोग मजसिदरेट और पुलसि को अभवियकर्ता की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिसंवैदनशील बनाने हेतु करना चाहिये।
- राजद्रोह की परभाषा को केवल भारत की कषेत्रीय अखंडता के साथ-साथ देश की संप्रभुता से संबंधित मुद्दों को शामिल करने के संदर्भ में संकुचित किया जाना चाहिये।
- देशद्रोह कानून के मनमाने इस्तेमाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये नागरिक समाज को पहल करनी चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस